मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांकः अप्रैल 28, 2014

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्यायालय के **पुराने मोबाईल सेटों** की निलामी खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक 24/05/2014 को दोपहर 2:00 बजे से की जाएगी।

सामग्री का अवलोकन दिनांक 20/05/2014 से 24/05/2014 के मध्य मा0 न्यायालय के नजारत अनुभाग से सम्पर्क करके किया जा सकता है। निलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु मा0 न्यायालय के रोकड़ अनुभाग में रु.1,000/– (रिफन्डेबल) की जमानत धनराशि, दिनांक 24/05/2014 की दोपहर 1:00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद प्रचार हेतु चस्पा करें:–

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल
3. जिलाधिकारी, नैनीताल
4. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल
5. अधिशाषी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, नैनीताल
6. लोक निर्माण विभाग, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
7. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

सहायक निबन्धक (नजारत)
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

नियम एवं शर्तें

- निलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में रु.1,000/– (रिफन्डेबल) की जमानत धनराशि, दिनांक 24/05/2014 की दोपहर 1:00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। बिना जमानत धनराशि जमा कराए, निलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

- सामग्री का अवलोकन तथा नियम/शर्तों का समस्त विवरण इत्यादि दिनांक 20/05/2014 से 24/05/2014 के मध्य मा0 न्यायालय के नजारत अनुभाग से सम्पर्क करके किया जा सकता है। उक्त विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in में भी उपलब्ध है।

- निलामी उत्तराखंण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक 24/05/2014 को दोपहर 2:00 बजे से की जाएगी।

- माननीय उच्च न्यायालय को बिना कारण बताए, निलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा समस्त निलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

- असफल बोलीदाताओं सुरक्षा धनराशी का भुगतान उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग द्वारा उसी दिन कर दिया जाएगा। सफल निविदा दाता की सुरक्षा धनराशी, निविदा की समस्त धनराशी ज़मा करने तथा सामान को उठवाने के उपरान्त ही वापस की जाएगी।

- सफल निविदा दाता को सामान उठाने से पूर्व स्वयं के पहचान–पत्र की फोटोकॉपी तथा एक फोटो जमा कराना होगा।

- निलामी प्रक्रिया निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर शुरु होगी।

- निलाम की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है:–

SN	Make	IMEI No.	Min. Price
1.	Nokia E-63	351502045679164	730.00
2.	Nokia 5130	353396043771661	396.00
3.	Nokia E-71	356059034042305	1,206.00
4.	Sony Ericsson (Satio)	012251000558747	2,034.00
5.	Nokia 5130C	355232089948	440.00
6.	Samsung S5233i	357202039011169	432.00
7.	Nokia C2-00	357414040140883	240.00
8.	Nokia 2730	352700046089693	334.00
9.	Samsung 3222	357262042886528	320.00
10.	Sony Ericsson (Aino)	356815036551969	1,876.00

- सामग्री को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा। उच्चतम निलामी मूल्य को भी निरस्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

- समिति द्वारा स्वीकार किया गया निलामी मूल्य तभी अन्तिम माना जायेगा जब विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर लिया जाये।

- माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार किये गये निलामी मूल्य के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

- अधिकतम बोलीदाता को नीलामी समाप्ति एवं न्यायालय द्वारा निविदा की धनराशि की स्वीकृती के उपरान्त तुरन्त न्यायालय के रोकड़ अनुभाग में पूर्ण धनराशि नकद जमा करानी होगी, उसके उपरान्त ही सामग्री को ले जाने दिया जायेगा।

- सामग्री को नीलामी स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर ले जाना होगा अन्यथा उसकी निलामी निरस्त कर दी जायेगी और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशी जब्त कर ली जायेगी। तथा सामग्री को पुनः नीलाम किया जायेगा।

- बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि जमानत धनराशि जमा करने से पूर्व निलाम किये जाने वाली सामग्री का सम्यक् रूप से निरीक्षण/परीक्षण कर ले। निरीक्षण/परीक्षण का अर्थ सामग्री को चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नहीं होगा।

- समस्त सामग्री को जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, वैसी ही स्थिति में नीलाम किया जायेगा।

- यदि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के संज्ञान में यह बात आती है कि बोलीदाताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ–गांठ कर रखी है और सामग्री का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/स्थगित की जा सकती है।

- नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

फार्म–1

- व्यक्ति / फर्म का नामः– ....
- पूरा पताः– ....
....
....
- मोबाइल / फोन नम्बरः– ....
- सुरक्षा धनराशी रु.1,000 / – (रिफन्डेबल) को रोकड़ अनुभाग में जमा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरः– ....

स्थानः–

दिनांकः– व्यक्ति / फर्म के हस्ताक्षर